न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 78 / 2012 — जीसीएमएस : 2012 / 00243

1. भूराराम पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन 12 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.। —:वादी

बनाम

1. रूपाराम पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. बृजलाल पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. शंकरलाल पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. लिछमादेवी पुत्री श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. तुलसीदेवी पुत्री श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. लिछमाराम पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. जातादेवी पुत्री श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:प्रतिवादीगण
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 22.06.2022

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री विनित कुमार त्यागी अधिवक्ता वादी
2. श्री मोहनलाल अधिक्वता प्रति. 1 ता 7

दिनांक : 24.10.2024

—: निर्णय :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि जमाबंदी संवत 2065—2068 अनुसार वाके चक 27 एनपी ए तहसील रायहिसनगर के खाता संख्या 45 में पं.नं. 193 / 328 मु.नं. 79 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. बारानी व पं.नं. 193 / 329 मु.नं. 80 के कि.नं. 1 ता 19 कुल 4.618 है. बारानी कुल खाता योग 10.818 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता भादूराम पुत्र कालूराम के नाम दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता भादूराम का देहान्त दिनांक 04.03.2008 को हो चुका है और माता का देहान्त इससे पूर्व ही हो चुका है। मृतक भादूराम के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ही जायज वारिसान, उतराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि होने से भादूराम की मृत्यु 04.03.2008 से ही विवादित भूमि पर उहे विरास्तन हक—हकूफ व अधिकार बहिस्सा बराबर—बराबर प्रत्येक एक का 1 / 8—1 / 8 भाग निश्चित होकर तदनुसार वे काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए वादी विवादित रकबा पर अपने 1 / 8 भाग पर खातेदारी अधिकारों [illegible] विधिक अधिकारी होने से वाद की घोषणा व विधिक बंटवारा करवा[illegible] होने से लाने का विधिक अधिकारी है। पक्षकारान के परि[illegible]वरतार होने से संयुक्त रूप से से काश्त करने [illegible] झगड़े का अन्देशा व भय बना रहता है तथा [illegible] सार—संभा[illegible] काश्त के लिये तैयार करने में परेशानी आने व [illegible] परेशानी [illegible] सामना करना पड आती है तथा अन्य प्रकार की परेशानियाँ व दिक्कतें [illegible] रहा है इसलिए विधिक बंटवारा करवा खाता अलग—अलग करवाना अत्यन्त

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

आवश्यक एवं जरूरी हो चुका है। वादी पिता भादूराम के देहान्त पश्चात से ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 से निरन्तर अनुरोध करता जा रहा है कि विवादित रकबा में वादी के विरास्तन हिस्सा को स्वीकारते व मानते हुये विवादित रकबा के काश्त, रास्ता आदि की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए एकजोई काश्त सुविधा को मध्यनजर रखते हुए अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि के आधार पर प्रत्येक के भाग अनुसार विवादित भूमि का विधिक बंटवारा करवाने की व खाता अलग–अलग करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो वे प्रथमतः टालमटोल के पश्चात अंततः दिनांक 17.06.2012 को बमुकाम ठण्डी में यह कहकर स्पष्ट इन्कार हो गये कि उन्हे जरूरत नहीं है आपकों जरूरत है तो करवा लो यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 8 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायालय दो रूपये की कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे। कि विवादित रकबा वाके चक 27 एन.पी. ए. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 45 में पं.नं. 193/328 मु.नं. 79 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. बारानी व पं.नं. 193/329 मु.नं. 80 के कि.नं. 1 ता 19, 24–25 में 4.618 है. बारानी कुल खाता योग 10.818 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का बहिस्सा बराबर–बराबर प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्सा का खातेदारी अधिकार घोषित किये जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के मध्य विवादित भूमि में उनके भाग अनुसार अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब व किस्म के आधार पर एकजोई काश्त, रास्ता आदि की सुविधा के मध्यनजर विधि बंटवारा कर खाता अलग–अलग कर लगान अलग–अलग मुकर्र किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की तरफ से मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रति.सं. 1 ता 7 की तरफ से जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादी के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता श्री भादूराम की चक 12 टीके के मुरब्बा नं. 20 के 2 बीघा 16 बिस्वा व मुरब्बा नं. 48 के 11 बीघा 18 बिस्वा कुल 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि व चक 27 एनपी में मुरब्बा नं. 79 के 6.200 है. व मुरब्बा नं. 80 के 4.618 है. कुल 10.818 है. भूमि अस्थाई आवंटन थी। वादी आज से 40–45 साल पहले हमारे से अलग [illegible] पिता व हमने वादी का हक पुरा कर दिया व चक 12 टीके [illegible] 0 के 2 बीघा 16 बिस्वा व मु.नं. 48 के 11 बीघा [illegible] उसके कब्जा काश्त में है व चक 27 एनपी [illegible] 79 व 80 [illegible] कुल 10.818 है. भूमि हम उतरदाता प्रतिवादीगण को [illegible] भूमि को स्थाई आवंटन नहीं करवाया है [illegible] नाम से स्थाई आवंटन करवाकर किस्त खाजाना राजस्व में जमा करवा कर खातेदारी सनद

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

जारी करवा ली हैं। इस भूमि पर वादी ने हमारे पिता को ले जकार लोन भी ले लिया था जो हमारे पिता के मरने के बाद में हमने अदा किया है। क्योकि वादी जब अलग हुआ उस समय उसका हक पुरा कर दिया था व चक 12 टीके की कृषि भूमि उसको दे दी थी तब से वह चक 12 टीके में निवास कर रहा है। और वह अपने नाम भूमि करवा ली जिसका ओ 14 रजिस्टर की नकल है। विवादित भूमि पर हम 40–45 से साल से काबिज है। और काश्त कर रहे है। इस भूमि की किस्त हमने अदा की हैं वादी को ज्ञान होते हुए भी पहले कोई कार्यवाही नहीं की है। हम उतरदाता काश्तकार का कब्जा मुखालफाना है इस भूमि के हम उतरदाता प्रतिवादीगण खातेदार बन गये है। विवादित भूमि पर कब्जा हम उतरदाता प्रतिवादीगण रूपराम, बृजलाल, शंकरलाल व लिछमाराम का है। वादी का इस भूमि पर कभी कब्जा नही रहा । उसने अपना हक पुरा कर लिया है उसे चक 12 टीके की भूमि दे दी थी ओर वह अपने नाम से टीसी पर करवा ली है वादी ने कभी इस भूमि बाबत् मांग नहीं की है अब जमीनों के भाव बढ जाने की वजह से बेजा लालच करने की वजह से यह दावा पेश किया है उसका हक पुरा पहले ही हो चुका है अब झूठे तथ्यों पर दावा पेश किया है। अतिरिक्त कथन में हमारे पिता भदूराम को चक 12 टीके के मु.नं. 20 व 48 में कुल 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि नहरी टीसी पर थी व चक 27 एनपी के मु.नं. 79 व 80 में 10.818 है. भूमि टीसी पर थी जब वादी अलग हुआ तब उसका हक पुरा कर दिया व उसकों चक 12 टीके की भूमि को उसके नाम अस्थाई आवंटन हो गई व हम उतरदाता प्रतिवादीगण रूपराम, बृजलाल, शंकरलाल व लिछमाराम ने हमारे पिता के नाम से चक 27 एनपी की भूमि मु.नं. 79 व 80 में 10.818 है. भूमि की स्थाई आवंटन करवा ली व इसकी किस्त भी खजाना राज में जमा करवा दी। व खातेदारी सनद हमारे पिता के नाम से जारी करवा ली। यह भूमि अब भी हमारे कब्जा कास्त में है। इस भूमि पर वादी का कोई हक या अधिकार नहीं है वादी हमारे विरूद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसी साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया और अंकित किया है कि चक 27 एनपी के मु.नं. 79 के 6.200 है. व 80 के 4.618 है. कुल 10.818 है. बारानी भूमि पर कब्जा हम उतरदाता प्रतिवादीगण का वादी को ज्ञान होते हुए भी आज से 40–45 सालों से चला आ रहा है और इस भूमि की किस्त भी हमने अदा की है। इस भूमि पर हमारा चारों का कब्जा मुखालफाना है इसलिए इस भूमि के हम उतरदाता प्रतिवादीगण रूपराम–बृजलाल–शंकरलाल–लिछमाराम को खातेदार घोषित किये जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को [illegible] जावे। कब्जा के [illegible] में पानी की पर्ची मामला की रसीद पेश की है। अतः जवाब [illegible] काउंटर क्लेम पेश करके अर्ज है कि न्याय हित में [illegible] फरमाया जावे व काउंटर क्लेम डिग्री कर वि[illegible] चक 27 [illegible] के मु.नं. 79 व 80 के 10.818 है. भूमि के प्रति[illegible] बृजलाल, शंकरलाल, लिछमाराम को खातेदार घोषित किये जाकर इनके नाम [illegible]जस्व कागजात में अमलदरामद करने का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को भेजा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

प्रकरण सं. 78/12
भूराराम बनाम रूपाराम आदि
अन्तर्गत धारा 53–88–209 राज.काश्त.अधि

दिनांक 11.07.2012 को जवाब सरकार पेरोकार राज नायब तहसीलदार मुकलावा ने पेश कर अंकित किया कि उक्त प्रकरण पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है जिसमें राज्य सरकार को भू.धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है व कोई अनुतोष राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं चाहा गया है। इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं हैं जवाब शामिल मिसल किया गया। दिनांक 06.02.2015 को पुनः जवाब सरकार पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

1. आया कि वादी चक 27 एनपी ए तहसील रायहिसनगर के खाता संख्या 45 में पं.नं. 193/328 मु.नं. 79 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. बारानी व पं.नं. 193/329 मु.नं. 80 के कि.नं. 1 ता 19, 24–25 की कुल 4.618 है. बारानी कुल खाता योग 10.818 है. बारानी कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का हिस्सा बराबर–बराबर प्रत्येक 1/8 हिस्सा घोषित करवा वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य उनके भाग अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। –:वादी

2. आया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता को चक 12 टीके एवं 27 एनपी में कृषि भूमि अरथाई आवंटन हुई थी व वादी को चक 12 टीके की भूमि उसके हिस्सा में दे दी गयी थी, तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के हिस्सा में आई थी। जिसकी खातेदारी सनद पिता के नाम से प्रतिवादीगण ने किस्त खजाना में जमा करवा प्राप्त की है।
–:प्रतिवादीगण

3. आया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का है।
–: प्रतिवादीगण

4. आया कि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी रूपराम, बृजलाल, शंकरलाल व लिछमाराम अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। –:प्रतिवादीगण

5. अनुतोष।

4. वादी भूराराम पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन 12 टीके द्वारा दिनांक 12.04.2024 को शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जिरह के समय वादी द्वारा अपने पिता भादूराम के नाम से चक 12 टीके के मु.नं. 79 व मु.नं. 80 की जमाबंदी प्रदर्श–1 व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–2 व माता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 है नकल प्रति 3 ए है। जो शामिल मिसल किये गये।

5. प्रतिवादी रूपाराम पुत्र श्री भादूराम ने दिनांक 30.07.2024 को शपथ पत्र पेश किया जो **AW**–1 है खसरा गिरदावरी सन 1993 प्रदर्श– **A**(1) है रसीद असल वर्ष 1987–88 प्रदर्श– **A**(2) से **A**(7) तक [illegible] की पर्ची असल प्रदर्श– **A**(8) से **A**(9) –**A** है विवादित भूमि [illegible] कराने का चालान असल प्रदर्श– **A**(10) पत्रावली पर नकल **A**(10) [illegible] है। रामेश्वरलाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट साकिन [illegible] किया जो **AW**–2 है जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

6. दिनांक 07.09.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया कि दिनांक 23.08.2017 को वाद पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी स्तर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पर खारिज किया जा चुका है उसे पुनः पेशी पर लिया जावे। वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को पुनः सुनवाई पर लिया गया।

7. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या (A) आया कि वादी चक 27 एनपी ए तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 45 में पं.नं. 193/328 मु.नं. 79 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. बारानी व पं.नं. 193/329 मु.नं. 80 के कि.नं. 1 ता 19, 24–25 की कुल 4.618 है. बारानी कुल खाता योग 10.818 है. बारानी कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का हिस्सा बराबर–बराबर प्रत्येक 1/8 हिस्सा घोषित करवा वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मंध्य उनके भाग अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। –:वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था चक 27 एनपी मु.नं. 79 पं. नं. 193/328 कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. बारानी व पं.नं. 193/329 मु. नं. 80 कि.नं. 1 ता 9, 24–25 कुल 4.618 है. बारानी कुल खाता योग 10.818 है. बारानी वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा ब. हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णिति की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता को चक 12 टीके एवं 27 एनपी में कृषि भूमि अस्थाई आवंटन हुई थी व वादी को चक 12 टीके की भूमि उसके हिस्सा में दे दी गयी थी, तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के हिस्सा में आई थी। जिसकी खातेदारी सनद पिता के नाम से प्रतिवादीगण ने किस्त खजाना में जमा करवा प्राप्त की है।–:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चक 12 टीके के मु.नं. 20 की 2 बीघा 4 बिस्वा व मु.नं. 48 के 11 बीघा 18 बिस्वा कुल 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि अकेले वादी को देन का कथन किया है लेकिन उक्त भूमि की आवंटन पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन बतायी गई है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

तनकी संख्या (C) आया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का है। –: प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण [illegible] खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। भूमि भादूराम वल्द कालूराम के नाम [illegible] उनकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण 1 ता [illegible] का 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदारी अधिकार [illegible] करवाने [illegible] अधिकारी है अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रकरण सं. 78/12
भूराराम बनाम रूपाराम आदि
अन्तर्गत धारा 53–88–209 राज.काश्त.अधि.

तनकी संख्या (D) आया कि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी रूपराम, बृजलाल, शंकरलाल व लिछमाराम अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। –:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण रूपराम, बृजलाल, शंकरलाल व लिछमाराम अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के अधिकारी नहीं है बल्कि भादूराम वल्द कालूराम के आठों वारिस 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (E) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1–3–4 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जातीहै।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53–88–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। चक 27 एनपी मु.नं. 79 पं.नं. 193/328 कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. बारानी व पं.नं. 193/329 मु.नं. 80 कि.नं. 1 ता 9, 24–25 कुल 4.618 है. बारानी कुल खाता योग 10.818 है. बारानी वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है भादूराम वल्द कालूराम के जायद वारिसों की जांच करके बहिस्सा बराबर–बराबर रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आरएएस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 24.10 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:02:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमेइन्तदाई

(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवंपदेनसहायककलक्टररायसिंहनगर

बईजलास :सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

/2012 जीसीएमएस : 2012/00243

ूराराम पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन 12 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.

–:वादी

बनाम

रूपाराम पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
. बृजलाल पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
. शंकरलाल पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज
. लिछमादेवी पुत्री श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
. .तुलसीदेवी पुत्री श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
. लिछमाराम पुत्र श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. जातादेवी पुत्री श्री भादूराम जाति बावरी साकिन ठण्डी तह. रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
8. .स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 22.06.2022

दिनांक : 24.10.2024

–: निर्णय :–

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री विनीत त्यागी अधिवक्ता वादी , श्री ;न लाल बाना, प्रतिवादीगण पेश होने पर हुकम दिया जाता है कि वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा –88–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया ता है। चक 27 एनपी मु.नं. 79 पं.नं. 193/328 कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. बारानी व पं.नं. 3/329 मु.नं. 80 कि.नं. 1 ता 9, 24–25 कुल 4.618 है. बारानी कुल खाता योग 10.818 है. बारानी दी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार यसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है भादूराम वल्द कालूराम के जायद वारिसों की जांच करके बहिस्सा राबर–बराबर रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं

डिक्री आज दिनांक 24.10..2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
(सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवंपदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प डयूटी	2.00	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
	–	8.अर्जी के लिए स्टाम्प	–
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	9.प्लीडर की फीस	–
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प..............	–	10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
रूपये पर प्लीडर की फीस	–	11.आदेशिका की तामील	–
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	12.कमिश्नर की फीस	–
5.कमिश्नर की फीस	–		–
6.आदेशिका की तामील			
जोड़	2.00	जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवंपदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

SCAN AnyScanner